क्रम सं०	सिफारिश संख्या	सिफारिश
		के वास्ते राशि को संदर्शिका के रूप में लिया जाना चाहिए। वास्तविक आवश्यकताओं और नियत किए गए मानकों के आधार पर राज्य के अधिकारियों द्वारा इनकी समीक्षा की जानी चाहिए।
16.	137	महत्वपूर्ण बाढ़ और जल निकास कार्यों के सभी केन्द्रों की दूरसंचार सम्पर्कों के द्वारा वरिष्ठ इंजीनियरी अधिकारियों एवं राज्य मुख्यालय के नियंत्रण के साथ जोड़ने के संबंध में प्रबंध किए जाने चाहिए।
17.	153	राज्यों को कानून बनाना है ताकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम विद्यमान उपबंधों को आपातिक स्थितियों के अनुरूप बनाने की दृष्टि से इस अधिनियम की धारा 17(ii) को संशोधित किया जा सके। वर्तमान में रेलवे में लागू है। इसे बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए भी लागू किया जा सकता है।
18.	167	अनुसंधान शिक्षा व प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाये जैसा कि जल संसाधन विकास, नदी विज्ञान व बाढ़ नियंत्रण के संबंध में है।
19.	176	विभिन्न जलीय संरचनाओं व अनधिकृत प्रवेशों में नदी आकृति विज्ञान व नदी प्रतिक्रिया पर वैज्ञानिक सूचना प्राप्त करने के लिए विद्यमान अनुसंधान संगठन अपने अनुसंधान अन्वेषणों को विविधिकृत करें।
20.	181	जलाशयों के अवसादम संबंधी अध्ययनों का विविधिकरण किया जाना चाहिए।
21.	186	बाढ़ नियंत्रण के लिए नई प्रौद्योगिकी और अप्रत्यक्ष क्षतियों व लाभ की मात्रा बताने की क्रियाविधि का विकास करने के वास्ते तकनीकी आर्थिक अनुसंधान प्रायोजित किया जाना चाहिए।
22.	189	जहाँ भूमि प्रयोगकर्ताओं और युवा विद्यार्थियों का प्रशिक्षण शुरू किया जाए वहाँ बाढ़ विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए।
23.	191	चक्रवात की संभावना वाले क्षेत्रों में मानव क्रियाकलापों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
24.	197	कष्टों को कम करने के वास्ते एक राष्ट्रीय परिषद बनायी जानी चाहिए।
25.	204	विशेषज्ञों द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर आंकड़ एकत्र किए जाना जारी रखा जाना चाहिए। तटीय अनुसंधान इंजीनियरी केन्द्र केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे को एकत्र किये गये आंकड़ों की उपयोगिता व विश्वसनीयता का आवधिक मूल्यांकन करना चाहिए तथा जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ उपयुक्त मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए।

सरदार सरोवर परियोजना

2935. श्रीमती आनन्दीबेन जैठाभाई पटेल : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरदार सरोवर के विस्थापितों को गुजरात एवं मध्य प्रदेश में बसाने हेतु सरकार ने क्या योजनाएं बनाई है ;

(ख) अब तक गुजरात के किन-किन स्थानों पर मध्य प्रदेश के विस्थापितों को बसाया गया है ; और

(ग) उनका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और कितने परिवारों को बसाया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने सरदार सरोवर परियोजना के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित किए है। परियोजना से प्रभावित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों ने उनके लिए बहुत अधिक उदार पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन पैकेजों का प्रस्ताव किया है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मे परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए बहुत विस्तृत योजना/कार्य योजना तैयार की गई है। पात्र परिवारों को गृह भूखण्ड और कृषि भूमि का आबंटन करने के अलावा परियोजना से प्रभावित परिवारों को निर्वाह भत्ता, अनुग्रह राशि, पुनर्वास अनुदान, उत्पादक परिसम्पत्तियाँ तथा प्राथमिक स्कूल, कुएं, हैंडपम्प, ट्रांजिट शेड, बीमा रक्षण और विद्युतीकरण जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान की है। परियोजना से प्रभावित कुछ व्यक्तियों को रोजगार भी प्रदान किया गया है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

गुजरात में पुनर्स्थापित मध्य प्रदेश के परियोजना से प्रविभात व्यक्तियों की सूची

गुजरात के चार जिलों में पुर्नस्थापित गांव-वार परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम	तालुकों का नाम											
	वगोदिया		संखडा		दबोही		सावली		कर्जन		जेतपुर पावी	
	गांव का नाम	पीएपी*	गांव का नाम	पीएपी	गांव का नाम	पीएपी	गांव का नाम	पीएपी	गांव का नाम	पीएपी	गाव का नाम	पीएपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बडौदरा	गुतल	95	गोलगुंडी	37	नारिया	111	लोटना	154	केम्रा	93	कोतिया	30/30
	सांगडोल	30	सूर्या	50	वायतपुरा	44	प्रताप नगर	61 / 215	मियागम	45 / 138	–	–
	माधोधर	68	कंडी उच्चा	50	बम्बोज	15	–	–	–	–	–	–
	गाजदरा	73	कवकविता	41	अक्तादर	3						
	सैदल	72	हरेश्वर	105								
	तरस्वा	87	मोकोला	155								
	जुनरमपुरा	44	भुलवान	19	नसवारी							
					कालोडोली	2						
						175						
	लिलोरा	40	सिरसिन्धा	8								
	खान्धा	90										
	ब्यारा	80										
	करमालिधा	32										
	पुरा											
	ओदपुर	22										
	उमरवा	9										

जिले का नाम	तालुकों का नाम											
	बगोदया		संखडा		दबोगी		सावली		कर्जन		जेतपूर पावी	
	गांव का नाम	पीएपी*	गांव का नाम	पीएपी	गाव का नाम	पीएपी	गांव का नाम	पीएपी	गांव का नाम	पीएपी	गांव का नाम	पीएपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंचमहल . . .	कलोल		हलोल									
	वकरोल	211	सोनीपुर	89								
खेडा . . .	वसरा		वलारिनार									
	खडगोधरा	99	पथ्वीराजपुरा	17								
	संथोली	196										
वडोच . . .	जम्बुसार		वालिया									
	सिगम	29	डॉली	76								
	कंगम	53				-	कुल योग	2535				
		—		—								
		1330		647								

* पी ए पी—परियोजना से प्रभावित व्यक्ति ।